# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN : U32201UP1999SGC024928


संख्या–236–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2020–03–ज0श0 एवं प्र0सु0/2020 दिनाँक 21.03.2020

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/मध्यांँचल/पश्चिमाँचल/दक्षिणाँचल,
वि0वि0नि0लि0, कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि0 (केस्को)
वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा/कानपुर।

**विषय : कोरोना वायरस नयें (कोविड–19) के प्रसार को रोकने के लिये अपनाये जाने वाले निवारक उपाय।**

**महोदया/महोदय,**

आप अवगत ही हैं कि कोरोना वायरस की महामारी विश्वव्यापी समस्या के रूप में विद्यमान है। इसके संक्रमण के दृष्टिगत तत्काल विभिन्न कदम उठाने की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि विद्युत सेवा एक आवश्यक सेवा है एवं नियमित रूप से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक है। विद्युत वितरण निगम के कार्मिकों को संक्रमण के प्रभाव से बचाने के अलावा विद्युत बिल जमा करने आदि हेतु आने वाले उपभोक्ताओं को समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना भी आवश्यक है।

उक्त के दृष्टिगत निम्नवत् कार्यवाही की जाये:–

1– कार्यालय परिसर/विद्युत उपकेन्द्रों पर समुचित साफ–सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

2– कार्यालय परिसर/विद्युत उपकेन्द्रों पर स्थापित दरवाजो, खिड़कियों आदि को निरन्तर सेनेटाइज कराया जाय और इसका निरन्तर अनुश्रवण भी कराया जाये।

3– कार्यालय के साफ–सफाई में प्रयोग होने वाली सामग्री जैसे फिनायल, फ्लोर क्लीनर, सेनेटाइजर आदि की समुचित मात्रा में व्यवस्था की जाये।

4– कार्यालय/विद्युत उपकेन्द्र परिसरों पर अनावश्यक आगन्तुकों का आवागमन न होने दिया जाय।

5– कार्यालय/उपकेन्द्रों पर प्रवेश द्वार पर ही उपभोक्ताओं को हाथ धोने के लिए साबुन/पानी/सेनेटाइजर की समुचित व्यवस्था की जाये।

6– कार्यालयों में यथा सम्भव बैठकों आदि का आयोजन न करें बल्कि उनके स्थान पर दूरभाष/वीडियो कांफ्रेन्सिंग अथवा ईमेल का प्रयोग किया जाये।

7– यदि बैठक आहूत करना अपरिहार्य हो तो उन्हीं लोगों को बुलाया जाये जिनका आना अति आवश्यक हो और ऐसी बैठक में यह सुनिश्चित किया जाये कि बैठक में सम्मिलित लोगों में आपस में एक मीटर दूरी अवश्य बनी रहे।

8– डिस्काम मुख्यालय पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की जाये और प्रवेश द्वार पर ही प्रवेश करने वालों का शरीर का तापमान चेक किया जाय। ऐसे व्यक्ति जिनका शरीर का तापमान 99 डिग्री फारेनहाइट से अधिक है उन्हें कार्यालय में प्रवेश न दे तथा उन्हें चिकित्सीय परामर्श हेतु भेजें।

9– 50 वर्ष से अधिक आयु वाले ऐसे कार्मिकों जिन्हें पहले से डायबिटीज, श्वास सम्बन्धी समस्या, किडनी सम्बन्धी रोगों से ग्रसित हैं, उन्हें मांग के अनुसार अवकाश स्वीकृत करने पर विचार किया जाये।

10– ऐसे कार्यो को चिन्हित किया जाय जिन्हें घर से कम्प्यूटर/मोबाइल के माध्यम से कराया जा सकता है और ऐसे कार्मिकों को घर पर ही कार्य करने की सलाह दी जाये।

11– यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी नियमित कार्मिक एवं संविदा कर्मचारी के संक्रमित होने की दशा में उन्हें अवकाश स्वीकृत कर दिया जाये एवं इस क्रम में उनके वेतन में किसी प्रकार की कटौती न की जाये। विशेषकर संविदा कर्मियों के मामलों में इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

12– कोरोना वायरस से पीडित कार्मिकों को इलाज हेतु आवश्यक धनराशि निगम के नियामानुसार सर्वोच्च प्राथमिकता पर स्वीकृत करायी जाये।

Scanned with CamScanner

13– समस्त कार्मिकों को यह भी संज्ञानित करायें कि वे कोरोना वायरस के संक्रमण रोकने के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले निर्देशों की अद्यतन जानकारी प्राप्त करते रहें और तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही भी करें और किसी प्रकार की अफवाह से बचें।

14– पावर कारपोरेशन की वेब–साइट www.uppcl.org के माध्यम से शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता www.uppclonline.com एवं ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता www.uppcl.mpower.in नेविगेट कर घर बैठे ही बिजली का भुगतान कर सकते है जिसका विवरण संलग्नक–1 को कैश काउन्टर के समीप लगायें।

15– प्रचार एवं प्रसार द्वारा अधिक से अधिक उपभोक्तोओं को घर बैठे ऑन–लाइन पेमेन्ट हेतु प्रेरित करें।

16– ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को गॉव के पास उपलब्ध निकटतम जनसुविधा केन्द्र (सी0एस0सी0) पर भुगतान के लिये प्रेरित करें।

17– खण्ड के निकटतम सी0एस0सी0 के वैलिट में आवश्यकतानुसार धनराशि की व्यवस्था सुनिश्चित करा लें जिससे उपभोक्ता को वापस न लौटना पड़े।

18– एम0 पावर पर उपलब्ध सी0एस0सी0–वी0एल0ई0 के माध्यम से बिल संशोधन की शिकायत एवं पत्रावली प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

19– उपभोक्ताओं से कम से कम सपर्क रखने के उद्देश्य से समस्त उपखण्ड/उपकेन्द्र पर चेक प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाये जिसको प्रत्येक दिन 10 बजे प्रातः सेनेटाइस कर खोलकर प्राप्त चेकों को जमा कर लिया जाये।

20– कैश काउन्टर पर उपभोक्ताओं द्वारा नगद जमा धनराशि किये जाने हेतु उपभोक्ता से उपभोक्ता के मध्य एवं कैश काउन्टर और उपभोक्ता के मध्य 1 मीटर की दूरी रखी जाये एवं कैश काउन्टर के सेनेटाइजेशन का साथ विशेष ध्यान रखते हुये कैसियर को मास्क, ग्लब्स एवं सेनेटाइजर उपलब्ध करा दिया जाये। एवं इनके द्वारा संलग्नक–2 (परिपत्र संख्या–474–स0प्र0वि0–26/पाकालि/2020 दिनांक 19 मार्च, 2020) एवं संलग्नक–3 पर दिये गये निर्देशों पर अनुपालन सुनिश्चित करायें।

21– संलग्न के पोस्टर कैश काउन्टर के निकट लगाया जाना भी सुनिश्चि करें।

22– साबुन, सैनेटाइजर, मास्क एवं ग्लब्स आदि के कय हेतु प्रति वितरण खण्ड रू0 50,000 (रू0 पचास हजार) की सीमा तक व्यय किया जा सकता है। यदि उपरोक्त सामग्री मिलने में कोई कठिनाई महसूस की जाती है तो जनपद के अधीक्षण अभियन्ता, जिलाधिकारी से मिलकर आवश्यक सामग्री प्राप्त करना सुनिश्चित करें क्योंकि विद्युत सेवा अत्यावश्यक सेवा में आता है।

23– निगम के विभिन्न कार्यालयों/उपकेन्द्रों/कैश काउन्टर आदि पर पेमेन्ट/ऑनलाईन पेमेन्ट/संक्रमण के बचाव के उपाय सम्बन्धी विवरण फ्लैक्सी बोर्ड आदि के माध्यम से प्रचार–प्रसार हेतु प्रति वितरण खण्ड रू0 20,000 (रू0 बीस हजार) सीमा तक व्यय किया जा सकता है।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये और किसी भी दशा में विद्युत आपूर्ति बाधित न होने पाये।

भवदीय,

**( एम0 देवराज )**
**प्रबन्ध निदेशक**

**संख्या–236(i)–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2019 तद्दिनॉंक ।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
2. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
3. अधिशासी अभियन्ता (बेव), चतुर्थ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

**( एम0 देवराज )**
**प्रबन्ध निदेशक**

Scanned with CamScanner

www.upenergy.com | e-Nivaran app

संलग्नक -1

# Online Electricity Bill Payment Options

- Debit/Credit Card & Mastercard
- Net banking
- e-Wallet - Mobikwik
- UPI - PayTM, Google Pay, BHIM, PhonePe

## Available Mobile Apps & Websites

- e-Nivaran App
- BHIM App
- UPPCL smart consumer app - For Smart Meter User
- Other UPIs like - PayTM, Google Pay and PhonePe
- For Urban consumers : www.uppclonline.com
- For Rural consumers : www.uppcl.mpower.in
- Navigation to all the payment options : upenergy.in

Visit our youtube channel to know the procedure

UPPCL Consumer Connect Initiative

Scanned with CamScanner

संलग्नक-2

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
*U.P. POWER CORPORATION LIMITED*
*(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)*
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
(CIN: U32201UP1999SGC024928)

संख्या–474 –स0प्र0वि0–26/पाकालि/2020 दिनॉंक: 19 मार्च, 2020

## परिपत्र

उ0प्र0 शासन के परिपत्र सं0–1327/बीस–ई–3/2020 दिनांक 17.03.2020 के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण की रोकथाम के लिये समय–समय पर प्रकाशित सुरक्षात्मक उपायों को ध्यान में रखते हुए एतदद्वारा निम्नांकित निर्देश पारित किये जाते है। समस्त कार्मिकों द्वारा उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:–

**क्या करें :–**

01. निजी सफाई रखे तथा लोगों से दूरी बना कर रखें।
02. कुछ समय के अन्तराल पर हाथ धोने की आदत डालें, यथा आवश्यकतानुसार साबुन/एल्कोहल आधारित लिक्विड से हाथ धोयें या सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लें। हाथों के साफ दिखने पर भी नियमित अन्तराल पर हाथ धोते रहें।
03. खांसते/छींकते समय नाक व मुँह को रुमाल/टिश्यू पेपर से अवश्य ढॅक ले। छीकंते समय अपना मुँह कोहनियों के मध्य रखे तथा हथेलियों का प्रयोग न करें।
04. खांसते/छीकंने के बाद प्रयोग में आये हुए टिश्यू पेपर को बंद ढक्कन वाले कूड़े–दान में डाले।
05. लोगों से बातचीत के दौरान सुरक्षित दूरी अवश्य बनाये रखे, विशेषकर ऐसे लोगों से जिनमें फ्लू जैसे लक्षण परिलक्षित हो रहे हो।
06. अपने शरीर का नियमित रूप से तापमान नोट करें तथा सांस लेने से सम्बन्धित लक्षणों पर भी ध्यान देते रहे। किसी प्रकार के बुखार/सांस लेने में परेशानी व खांसी की शिकायत होने पर तत्काल चिकित्सक का परामर्श लें और चिकित्सकीय परामर्शानुसार कार्यवाही करें। चिकित्सक से सम्पर्क करते समय अपना मुँह और नाक किसी मास्क या रुमाल से अवश्य ढांक कर रखें।
07. भारत सरकार की वेबसाइट URL:mohfw.gov.in/DraftGuidelinesforhomequarantine.pdf एवं उ0प्र0 सरकार की वेबसाइट www.dgmhup-covid19.in में वर्णित सुरक्षा उपायों से भिज्ञ हो सकते है।

**क्या न करें :–**

01. किसी से हाथ न मिलायें।
02. अगर आपके अन्दर बुखार या खांसी के लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं तो किसी भी व्यक्ति से निकटतम सम्पर्क न बनायें।
03. बिना हाथ धोयें/सैनिटाईज़ किये गये अपने नाक/मुंह/ऑख को न छुयें।
04. अपनी हथेलियों से ढककर न छीकें/खांसे।
05. भीड़–भाड़ वाली जगहों पर अनावश्यक जाने से बचे।
06. प्रभावित स्थानों की अनावश्यक यात्राओं से बचें।
07. सामूहिक समूहों में बैठने वाले स्थानों पर भी जाने से बचें, जैसे कि कैन्टीन जाना/सामूहिक रूप से ग्रुप लंच आदि।
08. जिम/क्लब/मनोरंजन स्थल या अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें।
09. अनावाश्यक अफवाहों/भय इत्यादि से दूर रहे।

इसके अतिरिक्त कारपोरेशन द्वारा परिसर में विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध कराये गये सैनिटाईज़र/वॉशबेसिन का उपयोग करें। आवश्यकता होने पर परिसर में तैनात चिकित्सकों से सम्पर्क करें। इस सम्बन्ध में प्रत्येक कार्मिक की व्यक्तिगत जागरूकता/सर्तकता अत्यन्त अपेक्षित है।

निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)



Scanned with CamScanner

**संख्या–474 (1) –स०प्र०वि०–26 / पाकालि / 2020 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषितः–

01. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निजी सचिव।
02. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निजी सचिव।
03. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 / उ0प्र0 जल विद्युत निगम के निजी सचिव।
04. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के निजी सचिव।
05. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) / वितरण / वित्त / वाणिज्य / कारपोरेट प्लानिंग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निजी सचिव।
06. विधि अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
07 मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
08. मुख्य अभियन्ता (जानपद), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, 9वॉं तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
09. अपर सचिव–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निजी सचिव।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्तागण उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन / विस्तार परिसर, लखनऊ
11. समस्त संयुक्त सचिव / उप सचिव / अनुसचिव / अनुभाग अधिकारीगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन (मुख्यालय), लखनऊ।
12. महाप्रवन्धक (औ0सं0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन (विस्तार), लखनऊ।
13. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
14. अधिशासी अभियन्ता (जानपद / अनुरक्षण इकाई), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, भूतल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कपया तद्नुसार उपरोक्त की उदधोषणा ध्वनियंत्रों के माध्यम से शक्ति भवन (मुख्यालय) / शक्ति भवन विस्तार परिसर में कराने का कष्ट करें।
15. कीड़ा अधिकारी (मुख्यालय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. शक्ति भवन मुख्यालय एवं शक्ति भवन विस्तार भवन में कार्यरत / तैनात समस्त अधिकारी / कर्मचारी गण अनुभाग / इकाईयॉं / शिविर कार्यालय।
17. सहायक अभियन्ता / केयर टेकर (मुख्यालय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को सम्बन्धित समस्त आवश्यक कार्यवाही नियमित रूप से सुनिश्चित किये जाने हेतु।
18. कट फाइल / सूचना पट्ट।

**आज्ञा से,**

**(मु0 जावेद मंसूरी)**
**अनु सचिव**
**सचिवालय प्रशासन–वि0**

Scanned with CamScanner

संलग्नक-3

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा
निदेशालय, उत्तर प्रदेश

Help us to help you

# नोवल कोरोनावायरस (COVID-19)

## खुद रहें सुरक्षित, दूसरों को रखें सुरक्षित

## क्या करें और क्या ना करें

### क्या करें

- बार-बार हाथ धोएं। जब आपके हाथ स्पष्ट रूप से गंदे न हों, तब भी अपने हाथों को अल्कोहल - आधारित हैंड वॉश या साबुन और पानी से साफ करें
- छींकते और खांसते समय, अपना मुंह व नाक टिशू/रूमाल से ढकें
- प्रयोग के तुरंत बाद टिशू को किसी बंद डिब्बे में फेंक दें
- अगर आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई है तो डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर से मिलने के दौरान अपने मुंह और नाक को ढंकने के लिए मास्क/कपड़े का प्रयोग करें
- अगर आप में कोरोना वायरस के लक्षण हैं,तो कृपया राज्य हेल्पलाइन नंबर या स्वास्थ्य मंत्रालय की 24X7 हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 पर कॉल करें
- भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें

### क्या न करें

- यदि आपको खांसी और बुखार का अनुभव हो रहा हो,तो किसी के साथ संपर्क में ना आयें
- अपनी आंख, नाक या मुंह को ना छूयें
- सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें

## हम सब साथ मिलकर कोरोनावायरस से लड़ सकते हैं

**अधिक जानकारी के लिए**

चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उत्तर प्रदेश के 24X7 हेल्पलाइन नंबर

**18001805145** पर कॉल करें

Scanned with CamScanner